IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to sri तेलेस्फोर कुल्लू

S/O, W/O D/O स्व० करलुस कुल्लू Village गोतरा हेलेनपुर

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri अलबिना टेटे S/O,W/O D/O दानियल केरकेट्टा

Village गोतरा गुडूगोली P.S सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated ---------- in Rev,C.N.T.case No 276 of 2015-16

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana No.	Khata No.	plot No	Area(in acres)	Value for Sale
गोतरा	सिमडेगा 80	168	4138	0.12 डि० के 1/2 0.10 1/2 एकड़	3,22,000/- तीन लाख बाईस हजार रुपये मात्र।

चौहद्दी:-

उ०:- इसी प्लॉट का अंश नीज क्रेता का रहा
द०:- इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता का रहा
पू०:- प्लॉट नं० 4139 में हाता
प०:- कच्ची सड़क (इटर) आम 32' का

Sd........ह०/-

L.R.D.C.Simdega

Memo No. 135(ii) /Rev. Dated (Simdega the 24-2-2016

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri तेलेस्फोर कुल्लू पिता स्व० करलुस कुल्लू

Village गोतरा हेलेनपुर P.S सिमडेगा District Simdega

For information and needful

कार्यालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा

24/02/16

L.R.D.C. Simdega

उप समाहर्ता
भू० सु० सिमडेगा

24/02/2016 29/02/2016

कार्यालय, अंचल अधिकारी ......सिमडेगा......

पत्रांक ......194......

दिनांक 22/1/16

सेवा में ,

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/ भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमडेगा ।

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA TWO RUPEES

विषय :- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन ।

प्रसंग :- अनुमति वाद संख्या 276 सन् 2015-16

1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

१) क - आवेदक (हस्तान्तरण कर्त्ता) का नाम पिता का नाम/पूरा पता : तेलेस्फोर कुल्लू पिता स्व. फरनुस कुल्लू ग्राम गोतरा हेलेनपुर, थाना - सिमडेगा जिला - सिमडेगा ।

ख - जाति : खड़िया

२) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : खतियानी रैयत - भादु खड़िया वगै.

३) जमीनदारी विलियन के पश्चात उक्त जमीन की जमाबन्दी संख्या तथा जमाबन्दी दार का नाम : 263/I 168 सुकरु खड़िया वगै. पिता - भादु खड़िया वगै.

४) वर्त्तमान जमाबन्दी संख्या / जमाबन्दी दार का नाम : — तदैव — (वित्तीय वर्ष 15-16 का लगान वसूली है।

५) वर्त्तमान जमाबन्दीदार के किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : उत्तराधिकारी के रूप में

६) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : आवेदक गण

७) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : स्वयं

८) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार है तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : वंशावली -

भादु खड़िया → सुकरु खड़िया, राते खड़िया, बोको खड़िया
सुकरु खड़िया → अलबीस
राते खड़िया → लुकस → पीटर, सौपी
बोको खड़िया → फरनुस → याकुब 5.08 ए., तेलेस्फोर (आवेदक) 5.08 ए.

९) क्या आवेदक बड़े भू धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरूद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : नहीं

१०) क- क्या उक्त जमीन भूदान की है : नहीं

ख- लैण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित हैं : नहीं

११) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : बीमारी का इलाज एवं अन्य कार्य वास्ते

१२) जमीन का किस्म एवं ब्योरा : ग्राम/थाना सं०- खाता सं०- प्लॉट सं० - रकबा - किस्म आवासीय

गोतरा 80 168 4138 0.10½ एकड़ (10.92 डीसमील)

१३) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : 30,625/- प्रति डि०

१४) जमीन की वर्त्तमान मूल्य : 3,21,563/-

१५) विक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : 30.50 डीसमील से 5.08 एकड़

१६) बिक्री के बाद शेष भूमि : 4.97½ ए.

(मुहर: अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा)

(हस्ताक्षर) 29/02/16 (हस्ताक्षर) 29/2/16

19

2. क्रेता के सम्बन्ध में

१) क - क्रेता का नाम / पिता का नाम घर का पूरा पता	: अलविना टेटे पति दानियल केरकेट्टा : गोतरा मुण्डाटोली थाना + जिला - सिमडेगा ।
ख - जाति	: खड़िया ।
२) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी है ?	क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।
३) जमीन खरीदने का कारण / आवश्यकता	: गृह निर्माण हेतु ।
४) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड सिलिंग का वाद चला है	: नहीं
५) उनके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है	: —
६) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका ब्योरा	: नहीं
७) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य	: नहीं
८) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन की रकबा ब्योरा	: नहीं
९) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा कि शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है	: नहीं
१०) अभियुक्ति	:

(Stamp: जिला अवर निबंधक सिमडेगा, जिला-सिमडेगा (झारखण्ड))

V.O.S

उ. R.D.C

महाशय
क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है एवं अ.ज.जा. की श्रेणी में आते है। बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 1.97 एक. भूमि शेष बचता है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु श्रीमान को प्रतिवेदन समर्पित।

ह० (अस्पष्ट)
रा. उ. नि.

अंचल अधिकारी
सिमडेगा......

ह० 10/02/16, 21/4/16

अ. अ.
प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा समर्पित।
ह० 19/1/16

(Stamp: कार्यपालक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा)

ह० 16/02/16 R.D.C

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा

अनुमति वाद संख्या 276 /20115 –16

श्री तेलेस्फोर कुल्लू..........................आवेदक।

बनाम

झारखण्ड सरकार.............................विपक्षी।

आदेश

आवेदक श्री तेलेस्फोर कुल्लू पिता स्व0 करलुस कुल्लू ग्राम–गोतरा हेलेनपुर थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विकी हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरणः–

मौजा	थाना	थाना न0	खाता न0	प्लाट न0	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	168	4138	0.92 ए0मेंसे
भुडू टोली					0.10 1/2ए0

कुल रकबा (शब्दों में) साढे दस डीसमील मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को बीमारी का ईलाज कराने एवं अन्य आवश्कताओं के लिए केता अलबिना टेटे पति दानिएल केरकेटटा ,साकीन– गोतरा भुडूटोली थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा (जाति खड़िया) को विकी कर रहे हैं। यदि कोई आपत्ति हो तो मौजा–गोतरा भुडुटोली थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा के आम जनता एवं अंचल अधिकारी सिमडेगा जिला–सिमडेगा को आम सूचना दी गई थी। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 194 दिनांक 22.01.2016 के द्वारा प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है उक्त भूमि के खतियानी रैयत भादु खड़िया वगैरह नाम से दर्ज हैं। उक्त भूमि के वर्तमान जामाबंदी खाता संख्या 168 सुकरू खड़िया वगैरह पिता भादु खड़िया वगैरह के से कायम है। प्रस्तावित भूमि का लगान आवेदकगण के द्वारा दिया जाता है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के अपने खतियानी भूमि की नीज हिस्से को ब्रिकी कर रहा है। विकेत्ता एवं केत्ता दोनो अनुसूचित जनजाति खड़िया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि विकी के पश्चात आवेदक के पास 04.97 1/2 ए0 भूमि शेष बचता है, जो खतियानी भूमि है जो उत्तराधिकारी के द्वारा प्राप्त भूमि है।

भूमि स्वामित्त्व से संबंधित कागजात आवेदक खतियान एवं लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है तथा केत्ता की ओर से खतियान एवं लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया है तथा नोटरी पब्लिक सिमडेगा के द्वारा निर्गत शपथ पत्र संख्या 1308 दिनांक 12.02.2016 की मूल प्रति संलग्न किया गया है। विकी की जाने वाली जमीन की चौहदी भी प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है।

29/02/16

28/04/16

20

आवेदक अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा–गोतरा भुडूटोली थाना न0–80 थाना–सिमडेगा .के अन्तर्गत खाता न0 168 प्लॉट संख्या 4138 रकबा 0.10 1/2 ए0 जमीन को बीमारी का ईलाज कराने के लिए अन्य आवश्यकताओं के लिये केता अलबिना टेटे पति दानिएल. केरकेटटा ,साकीन–गोतरा भुडूटोली थाना–सिमडेगा जिला सिमडेगा जाति खड़िया के पास मो0 3,22,000,00 रू0 (शब्दों में) तीन लाख बाईस हजार रूपये मात्र में अपने खुशी राजी से खतियानी भूमि की नीज हिस्से की भूमि को विकी कर रहा हूँ। उक्त जमीन विकी करने के बाद मेरे पास 04.97 1/2 एकड़ जमीन शेष बचती है, जो जीविका पार्जन का साधन है। विकेत्ता एवं केत्ता दोनो अनुसूचित जन जाति खडिया जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजात के अवलोकन के पश्चात तथा आवेदक के बयान के आधार पर मौजा–गोतरा भुडूटोली थाना न0–80 थाना–सिमडेगा .के अन्तर्गत खाता न0 168 प्लॉट संख्या 4138 रकबा 0.10 1/2 ए0 आवेदक श्री तेलेस्फोर कुल्लू पिता स्व0 करलुस कुल्लू ग्राम–गोतरा हेलेनपुर थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा को जमीन केता अलबिना टेटे पति दानिएल केरकेटटा ,साकीन– गोतरा भुडूटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विकी करने की स्वीकृति दी जाती है।

टंकित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

पुनश्चः तालिका तीन प्रति में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

F. 5 = 00
F: भुगत
Af 8=00
योग- 13=00
कुल- तेरह रूपये मात्र।

24/02/016

प्रधान लिपिक